



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

10 वांछित/वारण्टी गिरफ्तार

दिनांक-14.08.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संबंधित क्षेत्राधिकारीगण के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में निम्नलिखित थानों की पुलिस टीमों द्वारा मा. न्यायालय में प्रचलित वाद/थाने पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित **कुल 10 वांछित/वारण्टी** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है-

थाना पिसावां पुलिस द्वारा 05 वारंटी व 02 वांछित गिरफ्तार- थाना पिसावां पुलिस टीम द्वारा मु.अ.सं. 354/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त 1.सूरज उर्फ गोलू पुत्र श्यामसुंदर 2.विनय उर्फ बिन्नु पुत्र महेश नि.गण सुल्ताननगर थाना पिसावां सीतापुर को मय चोरी किये गये तार तथा 05 वारंटी क्रमशः अपराध सं. 85/04 में वारंटी 1.रामनरेश, 2.सहोदर पुत्रगण रामदयाल नि.चौखडिया थाना पिसावां सीतापुर तथा वाद सं. 7976/17 में 3.वारंटी छोटेलाल पुत्र सोबरन नि.सेमरा पिसावां सीतापुर तथा वाद सं. 7160/17 में वारंटी 4.रिजवान पुत्र रमजान नि.बक्सपुर थाना रामकोट सीतापुर एवम् अपराध सं. 512/07 में वारंटी रामकिशोर पुत्र चन्ना तेली नि.पेंदारी थाना पिसावां सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

थाना रामपुरकलां पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार- थाना रामपुरकलां पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 134/26 धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त अनूप कुमार पुत्र बलवन्त सिंह निवासी ग्राम तोड़कपुर थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना महोली पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार- थाना महोली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 80/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीनएसए में अभियुक्त निशी कुमार पुत्र अजंत सिंह नि.नगला वली थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रामकोट पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार- थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा अ0स0 106/2026 धारा 318(4)/340(2)/ 338/336(3)/319(2)बी.एन.एस. थाना रामकोट जनपद सीतापुर से सम्बंधित वाछित अभियुक्ता रीना देवी राठौर पत्नी निशी कुमार निवासी नगला बली थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

